

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारामगढ़,
जयपुर

रामजीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य

वाद पत्र संख्या 14/2022

20-01-2022	<p>प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशन लाल वैरवा ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादी को जारी हो। पत्रावली दिनांक 8/2/2022 को पेश हो।</p>	<p>नोटिस जारी 244-246 21-1-2022</p>
	<p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	
8/2/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा नोटिस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/2/22 को पेश हुई।</p>	
15/2/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वाकीर अहमद पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलाबी/जवाब दिनांक 8/3/22 को पेश हो।</p>	
08/3/22	<p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा नोटिस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/5/22 को पेश हुई।</p>	
10/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वाकीर अहमद पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलाबी/जवाब दिनांक 07/07/22 को पेश हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	

7/7/22

उमेश्वर लाल
गिरधारी लाल

शंकरलाल

नि. क. 21/10



पञ्चवली देवा वकील वादी उप
 प्रतिवादी गिरधारी, कल्याण शिवा
 उपरान्त तहसीलदार जमवारागढ
 के पत्रांक 1 बीए 2011 210 दिनांक
 26/4/22 के हारा रिपोर्ट प्राप्त
 हुई है पञ्चवली में शामिल है
 डम्प पश्चे की वहाँ हुनी
 शर्दा एवं पञ्चवली में उपलब्ध
 प्रतिवादी सठ 2014 का तहसिल
 का प्रत्येक सपंच गाम पंचायत
 साके की रिपोर्ट पर भगत किष्ण
 भगत करन के उपरान्त वादी
 के वाद के लिये रिपोर्ट
 प्राप्त है एवं गाम खीड साकेलीर
 के खण्ड 177, 178, 179, 185, 191,
 163, 180, 183, 201, 276, 169,
 199 में वादीगण के पिता का
 नाम मंगल इके गंगाराम सुरजत
 करन के कौडेश तहसीलदार
 जमवारागढ के रिपोर्ट प्राप्त है
 तदनुसार राजस्व रिपोर्ट में कमल करन

कौडेश की प्रति तहसीलदार
 के पालनाम हेतु भेजी जाके
 पञ्चवली के तहसिल शुभम देव
 जम्बर से कत हो वाद इति
 वादी इति

7/7/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारागढ